न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदश 07 नियम 11 सी.पी.सी. वसिलसिले मुकदमा नम्बर 89/2014 उनवानी लतापाल वगै0 बनाम रमेश वगै0 अंतर्गत धारा 88—89—188 व 53 आर.टी.ए.

आदेश

दिनांकः— 23—09—2019

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 क्रमशः रमेश पुत्र मवासी, राहुल पुत्र रमेश जाति गड़रिया निवासी जाटौली रतभान तह0 भरतपुर ने प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 इस आशय का पेश किया है कि वादी ने प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि पर उनके द्वारा क्रयशुदा भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को नल एंड वॉइड घोषित कराने हेतु उक्त भूमि को मीट्स एंड बाउंड से विभाजन कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के खसरा नंबर 2172 व 2173 के वादीगण न तो सह खातेदार है न ही उन्होंने अपने आपको निष्फ हिस्से का खातेदार घोषित कराने की रिलीफ मांगी है। उसका उक्त नंबरान से कोई संबंध नहीं है तथा इस दावा के माध्यम से दावा में चाही गई रिलीफ उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रतिवादी द्वारा कराये गये वयनामे को मात्र नल एंड वॉइड घोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। वयनामा के दस्तावेज को नल एंड वॉइड घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इस कारण यह दावा इसी स्टेज पर काबिल खारिजी के है।

वादीगण आराजी खसरा नंबर 2172 व 2173 के सह खातेदार नही होने के कारण दावा में विभाजन का कोई वाद का कारण नहीं है, न उन्हें विभाजन कराने का अधिकार है। इसलिए दावा इसी स्टेज पर काबिल खारिजी के है। स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ भी केवल खातेदार को ही प्राप्त हो सकती है व वादीगण खातेदार नहीं है लिहाजा कोई लोकल स्टेण्डाई वादी का नहीं

है। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण खारिज किया जावे।

उक्त प्रा0पत्र के संदर्भ में वादिया ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नं0 2172 व 2173 को रामेश्वरी देवी ने वादिनी के ससुर मवासी द्वारा अपनी पत्नी के नाम वयनामा करा दिया था। मवासी मूल रूप से ग्राम सौंख जिला मथुरा उ0प्र0 का रहने वाला था। वहां की संपत्ति को बेचकर वादिनी के ससुर ग्राम जाटौली रतभान में आकर बस गये थे। चूँकि मवासी की पत्नी अक्सर मवासी से नाखुश रहती थी, महिला का रजिस्ट्रेशन शुल्क पुरुष की अपेक्षा कम लगता है। इसलिए रामेश्वरी के नाम वयनामा करा दिया था, जो मवासी राम की पैतृक आराजी है। रामेश्वरी की स्वयं अर्जित कोई संपत्ति नहीं है, और न ही रामेश्वरी की आमदनी का कोई जरिया था, वह पूर्ण रूपेण घरेलू महिला थीं। इसलिए उन्होंने स्व0 सुरेश के बच्चों व पत्नी को उनके हक से महरूम कर दिया और दुर्भावना पूर्ण तरीके अपनाकर रमेश के नाबालिग पुत्र राहुल के नाम वयनामा करा दिया। दावा किसी विधि द्वारा बाधित नहीं है, अतः प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

प्रा0पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

वादपत्र के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण द्वारा वादपत्र की मद सं0 4 में वयनामा को शून्य प्रभावी घोषित कराने हेतु घोषणा चाही है, जिसको वादीगण द्वारा नुमायशी वयनामा बताते हुए वादपत्र में अंकित किया है और यही अनुतोष वादीगण द्वारा वादपत्र की प्रार्थना में चाहा है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण द्वारा जिस वयनामे को शून्य प्रभावी घोषित कराने की घोषणा चाही है, समस्त वादपत्र में उक्त वयनामा की कोई दि0 अंकित नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण का वादपत्र उद्देश्य विहीन व वादकारण रहित है। यहां यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में पैतृक संपत्ति अर्जित करते हुए वयनामा को शून्य प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। परन्तु वादीगण द्वारा स्वयं अपने वादपत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि रामेश्वरी ने यह

जमीन वयनामा से इतर व्यक्तिशः खरीदी है। अतः यह आराजी पैतृक आराजी भी सिद्ध नहीं होती है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर. टी. 2002 (1) पेज 584 व आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 814 पर यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पैतृक जमीन से संबंधित वयनामा को शून्य प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः उक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1, 2 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वाद वादिनी वाद पत्र की सुनवाई की क्षेत्राधिकारता इस न्यायालय को नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official